

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3069

3 मई, 2012 को उत्तर के लिए

लौह अयस्क की खानों को स्वीकृति

3069. श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की लौह अयस्क की तीन महत्वपूर्ण खानों को स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वीकृति देने से इन्कार किए जाने के क्या कारण हैं;
- (ग) उक्त खानों से प्रतिवर्ष 80,000 मिलियन टन अयस्क प्राप्त करने की सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम की योजनाओं की क्या स्थिति है जो इसने लौह-अयस्क की इन खानों से प्राप्त करने के लिए बनायी थीं; और
- (घ) मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या की जाएगी ताकि पर्यावरण और वन मंत्रालय यहां खनन कार्य के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे और यह कार्रवाई कब तक कर दी जाएगी ?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (ग): जी, हाँ। पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु विचारार्थ विषय जारी करने के लिए 24.1.2012 को झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की गुआ लौह अयस्क खानों के झिलिंगबुरु-I, झिलिंगबुरु- II और तोपइलोर पट्टों के प्रस्तावों की जांच की थी। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पाया है कि ये पट्टे पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित हैं जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी पहचान निर्धारित स्तर से अधिक अन्तःश्वसनीय सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के संदर्भ में अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र के रूप में की गई है। अतः विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इन प्रस्तावों को तब तक के लिए आस्थगित कर दिया है जब तक उक्त क्षेत्र में उपयुक्त नियंत्रण उपाय क्रियान्वित नहीं कर दिए जाते हैं। यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय में लंबित है। बन्द खानों के परिणामस्वरूप लौह अयस्क की आपूर्ति में कमी को अल्पकालिक उपाय के रूप में अन्य प्रचालन खानों से पूरा किया जा रहा है।

(घ): इस्पात मंत्रालय ने गुआ सहित लौह अयस्क खानों के लंबित पट्टों के संबंध में वन और पर्यावरण स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने के लिए यह मामला पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ कई अवसरों पर उठाया है।

\*\*\*\*\*